

राजस्थान-सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ04()एमएनजेवाई/उपकरण/2014-15/ 225

दिनांक: 15.5

अतिआवश्यक

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों की सूची भिजवाने के संबंध में।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आपके अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 1 जुलाई 2013 से एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/डिस्पेन्सरियों पर 15 अगस्त 2013 से आरम्भ की गई थी। बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी चिकित्सा संस्थानों द्वारा ई-औषधि सॉफ्टवेयर में निःशुल्क जांचों एवं लाभांवित मरीजों की संख्या का नियमित रूप से ईन्द्राज नहीं किया जा रहा है।

अतः जिन चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमित रूप से इन्द्राज नहीं किया जा रहा है उनके प्रभारियों के मोबाइल पर रिपोर्टिंग नहीं करने का मेसेज भेजने हेतु चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों की नवीनतम सूचना की आवश्यकता होगी।

अतः संलग्न प्रफोर्मा में चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों की सूचना अग्रिम तीन दिवस में [rmsc.mnjj@gmail.com](mailto:rmsc.mnjj@gmail.com) पर सॉफ्ट कॉपी में भिजवाने का श्रम करें।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

एफ04( )एमएनजेवाई/उपकरण/2014-15/  
प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मु0 नि0 जांच योजना, जयपुर।
5. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जोनल बायो-मेडिकल इंजीनियर जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ